



Neutral Citation Number- 2026:AHC:35362-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2948/2026

काशी सोनी

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : अनिल कुमार, राहुल पांडे

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : जी.ए., सुशील कुमार पांडे

न्याय कक्ष संख्या-45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. शुरू में ही, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री अनिल कुमार ने बार में बयान दिया है कि इस मामले में, जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया गया है, इसलिए उनका इस रिट याचिका पर ज़ोर देने का कोई इरादा नहीं है और वे इसे वापस लेना चाहते हैं, ताकि वे सही समय पर उचित मंच पर जा सकें।
3. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. दिए गए बयान को देखते हुए, इस रिट याचिका को ऊपर बताई गई स्वतंत्रता के साथ वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17 फरवरी, 2026

नादिम

(माननीय न्यायमूर्ति,अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”